छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा प्रथम सत्र अंक-10

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी, 2014

(माघ-18, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री का आज जन्मदिवस है। माननीय अध्यक्ष ने अपने तथा सदन की ओर से उन्हें बधाई दी।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 एवं 13 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री उमेश पटेल अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2013-2014, तथा

(2) श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (3) के पद (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ-परि./2013, दिनांक 7 सितम्बर, 2013 **पटल पर रखा।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल कर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोतीलाल देवांगन, कवासी लखमा, सदस्य ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड की बिलद्वार गुफा में चट्टान गिरने से लोगों की मौत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में एच.बी.एन.कंपनी द्वारा जनता से धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर संभाग में धान खरीदी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री भूपेश बघेल, टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से शिशु मृत्युदर अधिक होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक निरन्तर जारी रहने संबंधी समय वृद्धि की घोषणा की।)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(5)	श्री अरूण वोरा
(6)	श्री अरूण वोरा
(7)	डॉ.सनम जांगड़े
(8)	श्री शिवरतन शर्मा
(9)	श्री मोतीलाल देवांगन
(10)	श्री मोतीलाल देवांगन
(11)	श्री टी.एस.सिंहदेव
(12)	श्री संतोष बाफना
(13)	श्री तोखन साहू
(14)	श्री उमेश पटेल

5. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अरूण वोरा
(2) श्री केशव चन्द्रा
(3) डॉ.विमल चोपड़ा
(4) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी

4. अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रायपुर शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना की जाय."

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री देवजी भाई पटेल, बृहस्पत सिंह, श्याम बिहारी जायसवाल, मोहन मरकाम, लाभचंद बाफना, डॉ.विमल चोपड़ा।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि "रायपुर शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)" के स्थान पर " छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नगरी भिलाई जिला दुर्ग में आई.आई.टी. (इंडियन इन्सटयूट ऑफ टेक्नालाजी) " प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रस्तुतकर्ता सदस्य ने इस पर सहमति व्यक्त की। तद्नुसार- " छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नगरी भिलाई जिला दुर्ग में आई.आई.टी. (इंडियन इन्सटयूट ऑफ टेक्नालाजी) की स्थापना की जाय।"

यथासंशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "नई राजधानी रायपुर शहर के समीप स्थित आरंग रेल्वे स्टेशन में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए तथा यहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का स्टापेज किया जाय."

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री सियाराम कौशिक, चुन्नीलाल साहू, (खल्लारी)।

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनाँक 8 फरवरी, 2014 (माघ 19, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा